

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
-:: इन्द्रावती भवन ::-
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-eklavya.ctd@gmail.com

कमांक/EMRS/299/2019-20/10468
प्रति,

रायपुर दिनांक 19/02/2020

आयुक्त

जनसंपर्क संचालनालय

डी-ब्लॉक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय:- वर्ष 2019-20 में प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्ष 2019-20 में प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के कोचिंग करने के लिए कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन का प्रारूप संलग्न प्रेषित है।

कृपया विज्ञापन को राज्य के 03 बहुप्रसारित समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(मुकेश कुमार बंसल)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर दिनांक 19/02/2020

पृ0कमांक/EMRS/299/2019-20/10469
प्रतिलिपि

1. श्री गुरुमीत सिंह, सहायक प्रचार-प्रसार अधिकारी, मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय जनसम्पर्क से सम्पर्क कर उक्त विज्ञापन दिनांक तक प्रसारित करावे।
2. श्री दिनेश कुमार ध्रुव, सहायक प्रोग्रामर, मुख्यालय, नवा रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल संलग्न विज्ञापन को विभागीय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर अवगत करावें।

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन
अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक/EMRS/299/2019-20/10470

अटल नगर रायपुर, दिनांक 17/02/2020

वर्ष 2019-20 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत 50 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं 100 विद्यार्थियों मेडिकल क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी अधिकतम 40 दिन की सघन कोचिंग (Crash Course) हेतु निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से रायपुर में ही कराया जाना है। इस हेतु निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से "रुचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि — 27.02.2020, अपरान्ह 3.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना — 27.02.2020, दोपहर 03.30 बजे तक
3. पात्र पाए गए संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं समग्र मूल्यांकन — 28.02.2020 दोपहर 12.00 बजे

विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं।

(मुकेश कुमार बंसल)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, अटल नगर रायपुर

**कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन
अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़**

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक/ EMRS/299/2019-20/10471

अटल नगर रायपुर, दिनांक 12/02/2020

वर्ष 2019-20 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत 50 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं 100 विद्यार्थियों मेडिकल क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी अधिकतम **40 दिन की सघन कोचिंग (Crash Course)** हेतु निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से रायपुर में कराया जाना है। इस हेतु ऐसे कोचिंग संस्थाओं से जिनका इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव, उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री, विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराने में सक्षम हो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

1. प्रस्ताव का रूप :-

कोचिंग संस्थान द्वारा प्रशिक्षक एवं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हुए 40 दिनों के पैकेज हेतु प्रस्ताव सामान्यतः 40-45 विद्यार्थियों का एक बैच रखा जाए।

2. प्रशिक्षकों हेतु आवश्यक योग्यताएं :-

भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित एवं जीव विज्ञान का एक-एक प्रशिक्षक होना चाहिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में विशेषज्ञ हो। संबंधित प्रशिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :-

क्र.	विषय का नाम	योग्यता
1.	भौतिक शास्त्र	IIT/NIT संस्थान से प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड से बी.टेक. हो एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में 03 वर्ष का अनुभव हो।
2.	गणित	IIT/NIT संस्थान से प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड से बी.टेक. हो एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में 03 वर्ष का अनुभव हो।
3.	रसायन शास्त्र	IIT/NIT/IISC संस्थान से प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड से बी.टेक./ एम.एस.सी. हो या प्रतिष्ठित विश्व विद्यालय से एम.एस.सी. में 75 प्रतिशत या समकक्ष ग्रेड हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में 03 वर्ष का अनुभव हो।
4.	जीव विज्ञान	IISC/चिकित्सा शिक्षा संस्थान से MBBS/MDS प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड से डिग्री हो, एम.एस.सी. हो या प्रतिष्ठित विश्व विद्यालय से एम.एस.सी. में 75 प्रतिशत या समकक्ष ग्रेड हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में 03 वर्ष का अनुभव हो।

3. शिक्षकों की अनुपस्थिति या परिवर्तन :- किसी भी शिक्षक की अनुपस्थिति स्वीकार नहीं होगी। शिक्षक अनुपस्थित होने पर निर्धारित योग्यता के शिक्षक की व्यवस्था करना होगा।

4. प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि :- प्रत्येक प्रशिक्षक को न्यूनतम 06 घंटे अध्यापन कराना होगा।

5. टेस्ट पेपर :- प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक विषय का न्यूनतम 10 टेस्ट पेपर कराना होगा।

6. चयनित कोचिंग संस्था को निम्नानुसार तरीके से राशि का भुगतान किया जावेगा :-

1. निरीक्षण उपरांत संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम किश्त 25 प्रतिशत तथा कोचिंग सफलता पूर्वक समाप्त करने पर 50 प्रतिशत एवं अंतिम शेष 25 प्रतिशत परीक्षा परिणाम के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। जो निम्नानुसार होगा :-

1. परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से 20% के अंतिम चयन पर — पूर्ण भुगतान
2. परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से 10% से 20% के अंतिम चयन पर — 50% भुगतान
3. परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से 05% से 10% के अंतिम चयन पर — 25% भुगतान
4. परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से 5% से कम अंतिम चयन होने पर — कोई भुगतान नहीं।

7. कोचिंग संस्था हेतु न्यूनतम योग्यता

(अ) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो।

(ब) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए और प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग से सम्बद्धता हो।

पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

8. संस्था का पेन नम्बर (पेन कार्ड) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (पेन नंबर अनिवार्यतः होना चाहिए)।

9. संस्था का जी.एस.टी. नम्बर (जी.एस.टी. प्रमाण पत्र)/टेन नंबर की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।

10. (i) प्रति वर्ष का टर्न ओवर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 02 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) तथा आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। टर्न ओवर के लिए पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो जिसमें कुल टर्न ओवर के साथ कोचिंग कार्यों से संबंधित टर्न ओवर का उल्लेख पृथक से हो।

(ii) पिछले 02 वर्षों में सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. जमा किए गए का विवरण

11. सुरक्षा निधि के रूप में रु 200,000/- (शब्दों में: दो लाख रु. मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. 06 माह की अवधि हेतु जो आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रवती भवन, नया रायपुर के पक्ष में हो, संलग्न होना चाहिए।

12. प्रस्ताव प्रस्तुत करने का तरीका :-

कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

1. प्रथम बंद लिफाफा :- संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण।
2. द्वितीय बंद लिफाफा :- संस्था के तकनीकी योग्यता संबंधी विवरण।
3. तृतीय बंद लिफाफा :- वित्तीय लिफाफा।

इन तीनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी दस्तावेजों के पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी संबंधी योग्यता) में पात्र पाए जाने पर ही तृतीय लिफाफा खोला जाएगा।

तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु कुल 100 अंक होगा। तकनीकी मूल्यांकन हेतु 60 प्रतिशत अधिभार एवं वित्तीय मूल्यांकन का 40 प्रतिशत अधिभार देते हुए तकनीकी एवं वित्तीय का संयुक्त मूल्यांकन पश्चात् अंतिम मूल्यांकन के आधार पर संस्था का चयन किया जाएगा। परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा योजना में परिवर्तन/संशोधन की स्थिति में कोचिंग की अवधि घटाई/बढ़ाई जा सकती है इसके लिए कोई राशि पृथक से नहीं दी जाएगी। योजना की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/निर्णय का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का मान्य होगा।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता, शर्तें, सुरक्षानिधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन अथवा Download कर सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रस्तुत करने हेतु संस्थाओं को अपने प्रस्ताव के साथ रु. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रवती भवन, के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न करना होगा। या विभाग के शीर्ष 0250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 102 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण, 800-अन्य प्राप्ति—(1) अंतर्गत 1000/-रु. जमा कर चालान की प्रति जमा की जा सकती है।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि — 27.02.2020 अपराह्न 3.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना — 27.02.2020 दोपहर 3:30 बजे तक
3. पात्र संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं समग्र मूल्यांकन — 28.02.2020 दोपहर 12.00 बजे

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। डाक विभाग के गड़बड़ी के कारण विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन कर सकते हैं।

(मुकेश कुमार बंसल)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, अटल नगर रायपुर

वर्ष 2019-20 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से

"रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

आवेदन पत्र

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांकदिनांक.....के संदर्भ में)

भाग- एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें
1.	(अ) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। (ब) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए और कोचिंग कार्य से सम्बद्धता हो। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन नम्बर (पेन कार्ड) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (पेन नंबर अनिवार्यतः होना चाहिए)।	
3.	संस्था का जी.एस.टी. नम्बर (जी.एस.टी. प्रमाण पत्र)/टेन नंबर की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
4.	(i) प्रति वर्ष का टर्न ओवर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 02 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) तथा आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। (टर्न ओवर के लिए पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो जिसमें कुल टर्न ओवर के साथ कोचिंग कार्यों से संबंधित टर्न ओवर का उल्लेख पृथक से हो) (ii) पिछले 02 वर्षों में सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. जमा किए गए का विवरण	
5.	सुरक्षा निधि के रूप में रु 200,000/- (शब्दों में :- दो लाख रु. मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. 06 माह की अवधि हेतु जो आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रवती भवन, नया रायपुर के पक्ष में हो, संलग्न होना चाहिए।	

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर

पद मुद्र सहित

भाग-दो (द्वितीय लिफाफा-क्रमांक 01 से 03 तक)

भाग - 2 (01)

(संस्था का सामान्य परिचय-पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम :
- (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
- :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) :
2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने :
- हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है,
- विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का
- क्रमांक एवं दिनांक
3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनीज एक्ट के अंतर्गत संचालित है तो :-
- (अ) समिति/कंपनीज एक्ट का नाम :
- :
- (ब) समिति/कंपनीज एक्ट के कार्यालय :
- का पूर्ण पता :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) :
4. (अ) समिति/कंपनीज एक्ट किस एक्ट के तहत पंजीकृत है :
- (ब) समिति/कंपनीज एक्ट का जीवित पंजीयन क्रमांक :
- (स) समिति/कंपनीज एक्ट का वैधता दिनांक :
- (द) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वनमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :
- (इ) समिति/कंपनीज एक्ट के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :
- (फ) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वन्मेन्ट बॉडी के अध्यक्ष, :
- सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता :
- मोबाईल नंबर सहित :
5. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इनचार्ज का नाम :-
- (अ) इन्चार्ज का नाम :
- (ब) शैक्षणिक अर्हता :
- (स) अनुभव :

भाग - 2 (02)

(कोचिंग संस्था के फैकल्टी, जिन्हें इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग में अध्यापन हेतु भेजा जाएगा)

1. (अ) फैकल्टी का विवरण :- सभी का बायोडाटा संलग्न होना चाहिए।

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुभव	अध्यापन का विषय

(ब) समिति/फर्म द्वारा संचालित कोचिंग संस्था में पंजीकृत विद्यार्थियों की जानकारी (विगत तीन वर्ष का):-

क्र.	वर्ष	परीक्षा का नाम	बालक	बालिका	योग
1	2017-18	JEE			
		NEET			
2	2018-19	JEE			
		NEET			
3	2019-20	JEE			
		NEET			

(स) राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण (पिछले 03 वर्षों की उपलब्धि का विवरण प्रतियोगी परीक्षा का नाम, शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या, सफलता का प्रतिशत प्रस्तुत करें)। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मोबाईल नंबर सहित संलग्न की जाएं।

टीप :- संस्था का चयन किये जाने की अनुशंसा के पश्चात् उक्त सुविधाओं का निरीक्षण कराया जायेगा, निरीक्षण में उक्त सुविधाएं सही नहीं पाये जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्र सहित

2. योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति :-

1. अध्यापन की रणनीति (कालखंडों की संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम की प्राथमिकता, शैक्षणिक कलेण्डर, इकाई मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी आदि जो आवश्यक हो)
2. अध्यापन की रणनीति
3. उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री की एक प्रति
4. उत्कृष्ट शिक्षको को पूरे वर्ष नियोजित करने की योजना
5. अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु ऑनलाईन टेस्ट पेपर एवं मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग की व्यवस्था।
6. छात्र/छात्रा के सुरक्षित आवास एवं भोजन की व्यवस्था का विवरण।

भाग -2 (03)

संस्था संचालक की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र के भाग-2 (01) से लेकर भाग -2 (03) में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैं वर्ष 2019-20 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभांति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर

सहित

वर्ष 2019-20 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

वित्तीय प्रस्ताव – भाग (तीन)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक.....दिनांक.....के संदर्भ में)

क	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि समस्त कर सहित 40 दिनों के पैकेज के लिए केवल प्रशिक्षक और कोचिंग मटेरियल सहित शुल्क
1.	वर्ष 2019-20 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग	

उपरोक्त दर समस्त कर सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

- टीप :-
1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।
 2. कोई भी कांट-छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 3. प्रस्ताव खोलते समय या प्रस्तुतीकरण के समय संस्थान के संचालक या मान्य प्रतिनिधि जिन्हें संस्थान के लेटर हैड पर सील, सिक्के सहित प्रमाणीकरण किया गया हो रह सकते हैं।